न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र क्रमांकः—39/2025

1. घमन्डी पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र चौबसिंह जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन।
2. जयवीर पुत्र तेजा
3. शीला पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण
4. भगतसिंह पुत्र रामहंस जाति जाट
5. सत्यपाल पुत्र पूरन जाति जाट निवासीयान बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण।

2.श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी सं0 3।

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

वादी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आरी खसरा नम्बर 1016/0.19है0 बाके ग्राम बहरारेखपुरा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में खाता संख्या 238 पर दर्ज नाम हमारे पिता सम्वत् की मृत्यु हो चुकी है एवं विरासत अभी तक दर्ज नहीं हो सकी है एवं प्रार्थी मृतक सम्पत का वारिस है। उक्त वर्णित आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य अभी तक विभाजन नहीं हुआ है एवं उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सामूहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में जमीन की बढती हुयी कीमतों एवं बढते हुये सहखातेदारान के कारण उक्त विवादित आराजी पर सामूहिक रूप से काश्त करना मुश्किल हो रहा है एवं सहखातेदारान के मध्य काश्त को लेकर झगडे चलते रहते है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी का विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है। जब प्रार्थी विवादित आराजी की देखभाल कर रहा था तो अप्रार्थीगण मौके पर आ गये एवं विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने एवं विवादित आराजी के कीमती हिस्सों पर कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,4 व 5 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर अदालत नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी में हिस्से

1/5 का हिस्सेदार दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है परन्तु अन्य सहखातेदारान के मध्य हुये मनवट से प्रार्थी को इस आराजी की बजाय अन्य आराजी मिली हुई है और प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर काबिज नहीं है और बटबारे के अनुसार ना ही इस आराजी से उसका कोई संबंध किसी प्रकार का शेष रहा है। प्रार्थी ने अपना विभाजन वाद आराजी मुन्दर्जे खाता सं0 327 किता 28 रकवा 5.17है0 तथा खाता संख्या 328 किता 4 रकवा 0.95है0 तथा खाता संख्या 238 में दर्ज खसरा नम्बर 468 रकवा 0.28है0 का पेश किया है जो उक्त तीनों खातों में दर्ज कुल आराजी 6.40है0 कुल किता 33 है और जिसका एक साथ काफी समय पूर्व मनवट हो चुका है और उक्त मनवट के अनुसार खाता संख्या 328 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1016 रकवा 0.19है0 प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 को न्यारानूर मिली थी तथा जिन्होंने दिनांक 20.01.2025 को उक्त खातो संख्या 328/327 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1016, 1021, 220, 446 कुल कितस 4 कुल रकवा 0.95है0 से 1/5 हिस्सा आराजी का वयनामा अप्रार्थीया संख्या 3 के हक में कराकर अपने काबिज खसरा नम्बर 1016 रकवा 0.19है0 का कब्जा मौके पर संभाल दिया था। इस खाता की दर्ज आराजी ख0नं0 1016 में प्रार्थी को मनवट से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था और न अरसा दराज से प्रार्थी का इस आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। दिनांक 20.01.2025 से विवादित आराजी ख.नं0 1016 के सम्पूर्ण रकवा 0.19है0 पर अकेली अप्रार्थीया संख्या 3 ही काबिज चली आ रही है, जिसमें अप्रार्थीया ने अपना मकान बना लिया है और कुछ आराजी खाली है जिसमें अप्रार्थीया अपनी काश्त करती है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1016 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें सभी सहखातेदार सामूहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त आराजी कीमती होने के कारण अन्य सहखातेदारी उक्त आराजी के कीमती हिस्सों पर कब्जा कर प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदलखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 3 की खरीदशुदा आराजी है जिसके सम्पूर्ण हिस्से को अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा खरीद किया गया था एवं उक्त आराजी सम्पूर्ण पर कब्जा प्राप्त किया था एवं उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीया संख्या 3 का पक्का मकान बना हुआ है एवं शेष आराजी को अप्रार्थीया काश्त हेतु उपयोग में लेती है। उक्त विवादित आराजी का काफी अर्सा पूर्व ही मनवट हो चुका है जिसमें प्रार्थी को उक्त आराजी की जगह अन्य आराजी में हिस्सा दिया गया था एवं मुताबिक मनवट सभी सहखातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 का अवलोकन किया गया उक्त विवादित आराजी में में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सभी सहखातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी द्वारा मनवट विभाजन के संबंध

में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के हक में जाहिर होते है।

अतः आदेश हैः—

उभयपक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1016 रकवा 0.19 वाके ग्राम बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर